

dustry are children below the age of thirteen;

(c) if so, whether these children are paid no wages for years because they are supposed to be learning the craft; and

(d) if so, what steps Government propose to take to put an end to this heinous practice of exploiting children as a source for cheap or unpaid labour?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (d) No, Sir. The Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 regulates the working condition of children in all areas of employment including the gem polishing industry. Authentic estimates which are generated through decennial census do not provide an estimate for number of working children in the gem polishing industry. However, an evaluation of the working conditions of child labour in the gem polishing industry, undertaken by Planning Commission in 1992, estimates the number as around 13 thousand child labourers below the age of 14 years. According to the report a large percentage of children are working for a meagre income as apprentices either in their own household industry or with others. A National Child Labour Project is under implementation since 1988 for the benefit of children withdrawn from working in this industry. Twenty special schools covering 1000 children are running under the project where children are provided education, vocational training, stipend and supplementary nutrition.

**तालाबन्दी/हड़तालों के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवस**

6338. श्री जनार्दन यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तालाबन्दी, हड़तालों आदि के कारण प्रति वर्ष कितने श्रम-दिवसों का नुकसान हुआ है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष सरकारी क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र में कितने कर्मचारी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर

लेने पर सेवानिवृत्त हुए हैं, कितने कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत्ति हुए हैं और कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष सरकारी क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र में इसके एवज में कितने रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान तालाबन्दी तथा हड़तालों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवस नीचे दिए गये हैं :—

	नष्ट हुए श्रम दिवस (मिलियन में)
1991(अ)	26.43
1992(अ)	31.26
1993(अ) (जनवरी-नवम्बर)	15.46

(ख) इस प्रकार की अलग-अलग सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है। संगठित औद्योगिक क्षेत्र में छंटनी किए गये कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

1991(अ)	4396
1992(अ)	3836
1993(अ) (जनवरी-नवम्बर)	2185

(ग) संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार 26,704.3 हजार तथा मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार 26,855.9 हजार था।